

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6 / वि०पत्रा०-24-10 / 2025

पटना, दिनांक:-

श्री विश्वजीत, राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 06.08.2025 से 22.08.2025 तक 17 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक 23.08.2025 से 31.08.2025 तक शेष 09 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री विश्वजीत के पक्ष में देय अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (17-17=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / —

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-10 / 2025 3579 पटना, दिनांक:- 14/09/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मोतिहारी / राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / एच० आर० एम० एस० (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / अंचल प्रभारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे। आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / श्री विश्वजीत, राज्य-कर सहायक आयुक्त (68वीं बैच), मोतिहारी अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।
11.09.2026